न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 68/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. छतरपाल पुत्र श्री होतीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा हाल आबाद होडल हरियाणा।

..... अपीलांट

बनाम

1. छीतरमल पुत्र श्री होतीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ..... रेस्पोडेन्ट
2. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर राज0

.....तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1.श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2.श्री श्योराम सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पो0 ।

अपील सं0 :– 69/2017 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. छतरपाल पुत्र श्री होतीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा हाल आबाद होडल हरियाणा।

..... अपीलांट

बनाम

3. छीतरमल पुत्र श्री होतीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 ..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–
3.श्री मूलचन्द चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
4.श्री श्योराम सिंह नरूका, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–05.03.2020

यह दोनों अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 01.02.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मिन अपीलांट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद मय प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 61 ऐयर वाके ग्राम भदीरा तहसील कठूमर जिला अलवर मिन अपीलांट की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है जिसमें फसल बो रखी है।दिनांक 05.10.14 को जब सायल अपीलांट आराजी में खडी फसल को देखने गया तो गैरसायल रेस्पो0 ने कहा कि मैं इस विवादित आराजी पर शांतिपूर्वक काश्त नही करने दूंगा। जबकि रेस्पो0 को ऐसा करने का अधिकार नही है। यदि रेस्पो0 अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गया तो अपीलांट को अपार हानि होगी आदि आदि पर मिन अपीलांट ने रेस्पो0 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की प्रार्थना की तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा बाद तलबी अपना जबाव पेश किया एवं प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनकर अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष से बाहर जाकर अपना निर्णय पारित कर आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 61 ऐयर वाके ग्राम भदीरा के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का बेजा आदेश दिया है जबकि रेस्पो0 आराजी मुतनाजा अपीलांट के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी, फसल बोने, काटने, लाने व ले जाने में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा ना करने हेतु पाबंद फरमाया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। इन दो अपीलों के तथ्य एवं कानूनी बिन्दु समान हैं अतः निर्णय के बिन्दु समान होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय भी एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति दोनों अपीलों में संलग्न की जावें।

विद्वान अभिभाषकगण की मुख्य बहस से पूर्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी गयी । बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 01.02.2016 की मिन अपीलांट को जानकारी नही थी। चूंकि मिन अपीलांट होडल हरियाणा में रहता है तथा उक्त मुकदमे की पैरवी हेतु अपीलांट के अधिवक्ता ने आश्वासन दिया हुआ था कि जब भी उनकी आवश्यकता होगी तो उन्हें सूचित कर बुलवा लिया जायेगा, हर तारीख पेशी पर उन्हें आने की आवश्यकता नही है। मिन अपीलांट के पास वकील की कोई सूचना नही आई। मिन अपीलांट दिनांक 24.09.2017 को अपनी आराजी की देखभाल करने गया तो असल रेस्पो0 द्वारा मिन अपीलांट के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की तथा मिन अपीलांट को बताया कि विद्वान अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर रेस्पो0 को पाबंद किया है। जानकारी होने पर यथाशीघ्र 25.09.2017 को नकल प्राप्त कर न्यायालय श्रीमान में अपील पेश की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2016 से जानकारी की तारीख दिनांक 24.09.2017 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद तसव्वर फरमायी जावे।

जबाव में अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा जबाव न देकर सीधी बहस में कथन किये कि प्रार्थना पत्र अवधि पार पेश किया गया है। पर्याप्त एवं प्रतिदिन का स्पष्ट कारण अंकित नही किया है।अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज किया जाकर अपील मियाद बाहर मानते हुये खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य बहस में अपील के तथ्यों को दोहराया तथा दावे के तथ्यों का हवाला दिया । साथ ही विवादित आराजी का विवरण दिया और तर्क किया कि मिन अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आराजी खसरा नंबर 130 वाके ग्राम भदीरा का राजस्व रिकार्ड प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट था कि मिन अपीलांट उक्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा मिन अपीलांट ने ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रेस्पो0 को पाबंद करने की प्रार्थना की लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है उससे एक तरह से मिन अपीलांट ही पाबंद हो गया है चूंकि विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबंद किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मिन अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष के विपरीत अपना आदेश पारित किया है। विवादित आराजी मिन अपीलांट की खरीदशुदा आराजी है। रेस्पो0 को इस तथ्य की बखूबी जानकारी थी लेकिन उसके द्वारा वक्त बयनामा एवं इंतकाल कोई एतराज किसी प्रकार का नही किया और ना ही उक्त बयनामा व इंतकाल को कभी पूर्व में किसी भी अदालत में चैलेन्ज किया गया लेकिन अब जमीनों की कीमत में भारी बढोतरी हो जाने के कारण उसके मन में बदयान्ती आ गई तथा उक्त आराजी को हडपने की जुस्तजू में रहता है। आराजी खसरा नंबर 163 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा असल रेस्पो0 के हिस्से में आई थी तथा जिसे राजन्द्र पुत्र रामस्वरूप गुर्जर को दिनांक 09.10.1985 को तबादला में देकर उससे खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 130, 131 लेने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। चूंकि आराजी खसरा नंबर 130 का राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप तन्हा खातेदार काश्तकार नही था। उक्त आराजी राजेन्द्र के पिता रामस्वरूप, बदन, मुखी, रत्तीराम, सरदार पुत्रान गिर्राज के संयुक्त कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी जिससे यह स्पष्ट था कि उक्त आराजी खसरा नंबर 130 का राजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप से तबादला में लेने का प्रश्न ही पैदा नही हो सकता है।किसी भी आराजी का तबादला बराबर रकबे का होता है जबकि उपरोक्त आराजी खसरा नंबर 130, 131 व खसरा नंबर 163 का रकबा समान ही नही है और ना ही आस पास में स्थित हैं। स्वयं असल रेस्पो0 ने अपने प्रार्थना पत्र में निर्विवाद रूप से अपीलांट की खरीदशुदा आराजी बताई है तथा आराजी खसरा नंबर 130 मिन अपीलांट ने जरिये रजि0 बयनामा खरीद की है तथा मिन अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस स्थिति में रेस्पो0 को पाबंद किया जाना चाहिये था किवह मिन अपीलांट के विवादित आराजी में कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत

पैदा ना करें।उपरोक्त आराजी से असल रेस्पो0 का कोई संबंध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर का आदेश दिनांक 01.02.2016 का प्रचलन स्थगित फरमाया जाकर रेस्पो0 को पाबंद किया जावे कि वो अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हाल खसरा नंबर 130 रकबा 61 ऐयर वाके ग्राम भदीरा तहसील कठूमर से रेस्पो0 अपीलांट को जबरन बेदखल कर कब्जा ना करें ना ही अपीलांट के कब्जे काश्त कुल कार्य काश्तकारी में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा करे।

अधिवक्ता रेस्पो0 का बहस के दौरान कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया था। आराजी खसरा नंबर 163, 166, 164, 165, 167, 168 ग्राम भदीरा तहसील कठूमर वादी अपीलांट व प्रतिवादी रेस्पो0 तथा अन्य भाईयों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। आराजी का बंटवारा अदालत सहायक कलेक्टर कठूमर के न्यायालय से अपीलांट द्वारा करा लिया। बंटवारे में आराजी खसरा नंबर 163 छीतरमल के हिस्से में आया तथा खसरा नंबर 166 मिन रकबा 3 बीघा, 167 मिन रकबा 11 बिस्वा छतरपाल के हिस्से में आया। खसरा नंबर 164 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा तथा खसरा नंबर 167 मिन रकबा 8 बिस्वा, 166 मिन रकबा 3 बिस्वा विशन के हिस्से में आया। खसरा नंबर 168 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा 167 मिन रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा विग्रेडियर के हिस्से में आया। इसी प्रकार विवादित आराजी अपीलांट व रेस्पो0 एवं अन्य भाईयों के नाम अलग अलग खातेदारी में दर्ज हो गई। छतरपाल ने अपने हिस्से में आई आराजी का बेचान रामस्वरूप पुत्र गिर्राज गुर्जर निवासी पिसई को कर दिया। छतरपाल की गांव भदीरा में कोई जमीन शेष नही रही। रेस्पो0 ने खसरा नंबर 163 का बेचान रामस्वरूप के बेटे राजेन्द्र के हक में दिनांक 09.10.1985 को कर दिया तथा खसरा नंबर 130–131 का बयनामा गैरसायल रेस्पो0 के हक में कराना तय हुआ। रेस्पो0 अनपढ काश्तकार पेशा आदमी है तथा अपीलांट चतुर चालाक व्यक्ति है।जिसने बेईमानी पूर्वक रेस्पो0 की भूमि का बयनामा रामस्वरूप के लडके के नाम तथा तबादला में मिली रामस्वरूप की आराजी का बयनामा अपने नाम करा लिया। रामस्वरूप की बढी हुई 18 बिस्वा जमीन की कीमत भी रेस्पो0 छतरपाल ने अदा की थी। मौके पर विवादित आराजी पर रेस्पो0 का ही कब्जा काश्त है। अपीलांट को किसी तरह का नुकसान व क्षति नही होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये।
आरआरडी 1993 पेज 16, आरआरडी 1985 पेज 30, आरबीजे 2018 पेज 503, आरआरडी 1993 पेज 2.

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने समर्थन में निम्न कानूनी दृष्टांत पेश किये।
आरआरडी 2004 पेज 118.

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । तहत न्यायालय के आदेश दि0 01.02.2016 का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

अपील अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय से पूर्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पर निर्णय किया जाना आवश्यक है।

अपील लगभग 1 वर्ष 07 माह की देरी से पेश की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अपील में देरी के कारण अंकित करते हुये इसकी ताईद में शपथपत्र भी पेश किया है।इसके जबाव में रेस्पो0 द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नही किया है। इस कारण प्रथमदृष्टया शपथ पत्र पर विश्वास नही करने का कोई कारण नही है।

विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों द्वारा देरी में क्षम्य और नरम रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये निर्देशित किया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकि आधारों पर निस्तारित किया जाना चाहिये। अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जावे।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में– प्रथम तो तहत अदालत द्वारा अपने विवेच्य आदेश में केवल अस्थाई निषेधाज्ञा के केवल 03 बिंदुओं का उल्लेख किया है, उनका बिंदुवार विवेचन नही किया है।

तहत अदालत द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आराजी खसरा नंबर 130 रकबा 0.61है0 वाके ग्राम भदीरा के संबंध में उभयपक्षकारान को रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिये पाबंद किया है। यथास्थिति रखने का आदेश कोई न्यायिक आदेश की संज्ञा में नही आता है। न्यायालय को स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिये कि प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार करे या खारिज कर दे। यथास्थिति का आदेश जब तक कि साथ में कोई स्पष्ट आदेश किसी पक्षकार के पक्ष में नही दिया जावे तो उचित नही कहा जा सकता है।

विवादित आराजीयात का बयनामा दिनांक 09.10.1985, इसकी जमाबंदी संवत 2042 व 2046 भी अपीलांट के पक्ष में है। इससे प्रथमदृष्टया यह अवधारणा की जावेगी कि जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन है, 'कब्जा' उसी का है।

इस प्रकार अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरें इस प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते हैं।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कठूमर के निर्णय दिनांक 01.02.2016 को निरस्त किया जाता है। खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । निर्णय की प्रति मूल पत्रावली के साथ संलग्न कर तहत न्यायालय को उनकी पत्रावली प्रेषित की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

05.03.20

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर